

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांक: एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/

दिनांक: 19.02.2015

जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय:- भामाशाह कार्ड वितरण से पूर्व त्रुटि जाँच बाबत।

सन्दर्भ:- समसंख्यक पत्र दिनांक 18.02.2015

महोदय,

जैसा कि सन्दर्भित पत्र से भामाशाह योजनान्तर्गत परिवार/व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड वितरण के संबन्ध में कार्डों की अपने स्तर पर गहनता से जाँच करवाकर शीघ्रातिशीघ्र निवासियों को त्रुटि रहित भामाशाह कार्ड वितरित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इन कार्डों की निम्न प्रकार की त्रुटियों को विशेष ध्यान में रखते हुए वितरण से पूर्व जाँच करवा ली जाए:-

1. फोटो अस्पष्ट होना।
2. जन्म तिथि इत्यादि के मुद्रण संबंधी त्रुटि।
3. किसी अक्षर या संख्या का नहीं छपा होना या अपठनीय स्थिति में होना।

साथ ही भामाशाह पोर्टल पर भी भामाशाह कार्डों की प्राप्ति एवं वितरण की Inventory का नियमित अद्यतन सुनिश्चित करवाया जाए।

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव

क्रमांक: एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/

दिनांक: 19.02.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:

1. समस्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर.....
2. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.....
3. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला.....
4. समस्त उपखण्ड अधिकारी.....
5. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....

(ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग